

न्यायालय – सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर
जिला – बालाघाट, (म.प्र.)

आप.प्र.क.कमांक-125/2012

संस्थित दिनांक-28.02.2012

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र बैहर,
जिला-बालाघाट (म.प्र.)

अभियोजन**विरुद्ध**

जोहरसिंह पिता जानसिंह धुर्वे, उम्र-27 वर्ष,
निवासी-ग्राम भटलई, थाना सालहेवाडा,
जिला-राजनांदगांव (छ.ग.)

अभियुक्त**// निर्णय //**

(आज दिनांक-27/08/2014 को घोषित)

1- आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279, 338 के अंतर्गत यह आरोप है कि उसने दिनांक-14.12.2011 को समय दिन के 10:00 बजे स्थान ग्राम बहेराभाट थाना बिरसा अंतर्गत लोकमार्ग पर वाहन ट्रेक्टर क्रमांक-एम.पी.50/ए.1708 को लोकमार्ग पर उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित करते हुए आहत बिसनाथ को घोर उपहति कारित की।

2- अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि घटना दिनांक-14.12.2011 को समय दिन के 10:00 बजे स्थान ग्राम बहेराभाट थाना बिरसा अंतर्गत आहत बिसनाथ को आरोपी द्वारा वाहन ट्रेक्टर क्रमांक-एम.पी. 50/ए.1708 को लोकमार्ग पर तेजी व लापरवाही पूर्वक चलाते हुए पीछे से ठोस मार दिया, जिससे आहत को गंभीर चोटें आयी। उक्त घटना की सूचना अस्पताल तहरीर के आधार पर पुलिस थाना मलाजखंड में आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक-0/2011, अंतर्गत धारा-279, 337, 338 भा.द.सं. का अपराध पंजीबद्ध करते हुये प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई, जिस पर थाना बिरसा द्वारा असल कायमी करते हुए आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक-107/2011, धारा-279, 337, 338 भा.द.सं. का अपराध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। पुलिस द्वारा आहत का मुलाहिजा करवाया गया था, पुलिस ने विवेचना दौरान घटनास्थल का मौका नक्शा तैयार किया, दुर्घटना कारित वाहन जप्त कर जप्ती पंचनामा तैयार किया। साक्षियों के कथन लेखबद्ध किया गया तथा आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस द्वारा अनुसंधान उपरान्त आरोपी के विरुद्ध

न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया।

3— आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा—279, 338 के अंतर्गत अपराध विवरण तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। आरोपी ने धारा—313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त परीक्षण में स्वयं को निर्दोष होना व झूठा फँसाया जाना प्रकट किया है। आरोपी द्वारा प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं किया गया।

4— प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है :-

1. क्या आरोपी दिनांक—14.12.2011 को समय दिन के 10:00 बजे स्थान ग्राम बहेराभाट थाना बिरसा अंतर्गत लोकमार्ग पर वाहन ट्रेक्टर क्रमांक—एम.पी.50/ए.1708 को लोकमार्ग पर उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया?
2. क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर आहत बिसनाथ को घोर उपहति करित किया ?

विचारणीय बिन्दुओं का सकारण निष्कर्ष :-

5— आहत बिसनाथ (अ.सा.1) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी को पहचानता है। वह घटना के समय रोड के किनारे खड़ा था तभी अचानक आरोपी ने ट्रेक्टर को चलाते हुए उसके उपर चढ़ा दिया, जिससे दबने से उसके चेहरे में चोट आयी थी और दाँत टूट गये थे। उसका ईलाज मलाजखंड के अस्पताल में हुआ था। साक्षी का यह भी कहना है कि घटना के समय ट्रेक्टर को गोठू चला रहा था, लेकिन उसके पास लायसेंस न होने के कारण ट्रेक्टर मालिक गंगाराम ने आरोपी जोहरसिंह का नाम पुलिस को बताया था। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि उसने रिपोर्ट दर्ज नहीं करायी थी। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह भी स्वीकार किया है कि आरोपी जोहर के द्वारा दुर्घटना नहीं की गई थी और उसे रंजीशवश झूठा फँसाया गया है। इस प्रकार साक्षी ने स्वयं आहत एवं महत्वपूर्ण साक्षी होते हुए भी आरोपित अपराध के संबंध में आरोपी के विरुद्ध कोई साक्ष्य पेश नहीं की है।

6— सूरजलाल (अ.सा.2) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि उसे घटना के बारे में बाद में जानकारी प्राप्त हुई थी और उसके सामने घटना नहीं हुई थी। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसने आरोपी जोहरसिंह को ट्रेक्टर चलाते हुए नहीं देखा। इस प्रकार साक्षी ने अभियोजन

मामले का समर्थन अपनी साक्ष्य में नहीं किया।

7— गजराम (अ.सा.3) एवं गज्जूलाल (अ.सा.4), ने अपनी साक्ष्य में दूसरों के द्वारा बताये जाने पर कथित दुर्घटना की जानकारी होना प्रकट किया है। साक्षीगण को पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षीगण ने इस सुझाव से इंकार किया है कि घटना के समय आरोपी के द्वारा ट्रेक्टर को चलाया जा रहा था। इसी प्रकार साक्षी मंटू उर्फ फुलेश (अ.सा.5) ने अपने मुख्य परीक्षण में आरोपी के द्वारा ट्रेक्टर से आहत बिसनाथ को चोट पहुंचाने के कथन किये हैं। साक्षी को पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर इस सुझाव से इंकार किया है कि घटना के समय आरोपी के द्वारा ट्रेक्टर को लापरवाही पूर्वक चलाकर आहत बिसनाथ को ठोस मारा गया था। साक्षी ने उसके पुलिस कथन से इंकार किया है तथा प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उक्त दुर्घटना गोठू के द्वारा कारित की गई थी और आरोपी से घटना घटित नहीं हुई थी। साक्षी हिरमोतिन (अ.सा.6) ने अपनी साक्ष्य में घटना के समय ट्रेक्टर दुर्घटना में आहत बिसनाथ को चोट आने के कथन किये हैं। साक्षी को पक्ष विरोधी घोषित किये जाने पर साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि घटना के समय आरोपी के द्वारा उक्त ट्रेक्टर को चलाया जा रहा था। इस प्रकार उक्त सभी महत्वपूर्ण साक्षीगण ने अपनी साक्ष्य में आरोपी के द्वारा कथित ट्रेक्टर का चालन करने के कथन न करते हुए अन्य व्यक्ति द्वारा ट्रेक्टर चलाये जाने के कथन किये हैं। इस प्रकार उक्त साक्षीगण ने आरोपित अपराध के संबंध में आरोपी के विरुद्ध कोई साक्ष्य पेश नहीं की है।

8— जैनेन्द्र उपराडे (अ.सा.8) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक-14.12.2011 को थाना मलाजखंड में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को उसे मलाजखंड ताम्र परियोजन के अस्पताल से अस्पताल तहरीर प्रदर्श पी-6 प्राप्त हुई थी, जिसकी उसके द्वारा जांच की गई थी। उसके द्वारा जांच के दौरान सूरजलाल, गज्जूलाल और बिसनाथ के कथन उनके बताये अनुसार लेख किया गया था। उसके द्वारा आहत का मुलाहिजा मलाजखंड ताम्र परियोजना के अस्पताल में कराया था। जांच के उपरांत उसके द्वारा रोजनामचा सान्हा क्रमांक-601, दिनांक-16.12.2011 में जांच रिपोर्ट दर्ज किया गया था। उक्त दिनांक को ही उसने आरोपी के विरुद्ध प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्रदर्श पी-7 लेख किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी ने मामले में दर्ज की गई प्राथमिकी एवं प्रारम्भिक जांच के संबंध में समर्थनकारी साक्ष्य पेश की है।

9— अनुसंधानकर्ता अधिकारी सुरेश विजयवार (अ.सा.7) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक-18.12.2011 को पुलिस चौकी

सालेटेकरी में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को उसे अपराध क्रमांक-107/11, धारा-279, 337, 338 भा.द.वि. का प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्राप्त होने पर मंटू उर्फ फुलेश की निशानदेही पर घटना स्थल का नजरी नक्शा प्रदर्श पी-6 तैयार किया गया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही साक्षी उसके द्वारा साक्षी मंटू उर्फ फुलेश, हिरमोतीनबाई, सूरजलाल एवं दिनांक-23.12.2011 को गजराय, दिनांक-28.12.2011 को विशनाथ के कथन उनके बताये अनुसार लेख किया गया था। दिनांक-28.12.2011 को आरोपी जोहरसिंह से साक्षियों के समक्ष जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-1 में दर्शित अनुसार ट्रेक्टर क्रमांक-एम.पी.50/ए.1708 मय चाबी के एवं दस्तावेज सहित जप्त किया गया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही उसके द्वारा आरोपी जोहरसिंह को साक्षियों के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तार पत्रक प्रदर्श पी-2 तैयार किया गया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा जप्तशुदा ट्रेक्टर का विधिवत परीक्षण कराकर, रिपोर्ट चालान के साथ संलग्न किया है। साक्षी ने मामले में की गई अनुसंधान कार्यवाही को समर्थनकारी साक्ष्य के रूप में प्रमाणित किया है।

10- मामले में प्रस्तुत सभी महत्वपूर्ण अभियोजन साक्षीगण एवं आहत बिसनाथ ने घटना के समय कथित ट्रेक्टर को आरोपी के द्वारा चलाये जाने के कथन अपनी साक्ष्य में नहीं किये हैं, बल्कि उक्त साक्षीगण ने आरोपी के अलावा अन्य व्यक्ति के द्वारा कथित ट्रेक्टर को चलाये जाने की साक्ष्य पेश की है, जिससे अभियोजन का सम्पूर्ण मामला संदेहास्पद हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में मात्र प्राथमिकी दर्ज करने वाले जांच अधिकारी एवं अनुसंधानकर्ता अधिकारी की समर्थनकारी साक्ष्य का महत्व नहीं रह जाता। अभियोजन ने यह प्रमाणित नहीं किया है कि घटना के समय आरोपी के द्वारा ट्रेक्टर को चलाया जा रहा था, ऐसी दशा में यह भी प्रमाणित नहीं होता है कि घटना के समय आरोपी के द्वारा कथित वाहन को उतावलेपन या उपेक्षा पूर्वक चलाया जाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया गया या आहत बिसनाथ को घोर उपहति कारित की।

11- उपरोक्त सम्पूर्ण साक्ष्य की विवेचना उपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन अपना मामला युक्ति-युक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान में आरोपी ने वाहन ट्रेक्टर क्रमांक-एम.पी.50/ए.1708 को लोकमार्ग पर उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न करते हुए, आहत बिसनाथ को घोर उपहति कारित की। अतएव आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279, 338 के अंतर्गत दोषमुक्त कर स्वतंत्र किया जाता है।

- 12— आरोपी के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।
- 13— प्रकरण में जप्तशुदा वाहन ट्रेक्टर क्रमांक—एम.पी.50/ए.1708 को मय दस्तावेज के रजिस्टर्ड स्वामी सुपुर्ददार रामलाल पिता सुरितसिंह, निवासी तोरगा थाना बिरसा जिला बालाघाट को सुपुर्दनामा पर प्रदान की गई है। उक्त सुपुर्दनामा उसके पक्ष में निरस्त समझा जावे अथवा अपील होने पर माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली)

न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला—बालाघाट

(सिराज अली)

न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला—बालाघाट

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)